प्रेस.विज्ञप्ति   दिनांक 10.07.2026

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

भारती मीडिया के भ्रामक दुष्प्रचार एवं असत्य समाचार का खंडन

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 25ण्03ण्2026 को आयोजित सामान्य सभा की कार्यवाही के संबंध में कुछ माध्यमों में प्रसारित समाचार पूर्णतः भ्रामकए तथ्यहीन एवं वास्तविक तथ्यों से परे हैं।

निगम भिलाई सामान्य सभा के दौरान कुछ सम्माननीय व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणी किए जाने पर सदन में यह अनुरोध किया गया था कि चर्चा गरिमापूर्ण एवं बुद्धिपूर्वक हो। इस संबंध में उसी दिन सदन में खेद भी व्यक्त किया गया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी सम्माननीय पार्षद को कभी भी ष्मूर्खष् नहीं कहा गया है। आयुक्त द्वारा सदैव सभी जनप्रतिनिधियों एवं पार्षदों का सम्मान किया गया है तथा निगम की कार्यवाही भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं एवं गरिमा के अनुरूप संचालित की जाती रही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त विषय पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। इसके बावजूद तथ्यों की अनदेखी करते हुए असत्यए भ्रामक एवं मानहानिकारक समाचार का प्रकाशन एवं प्रसारण किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैए जिससे निगम की छवि धूमिल करने का प्रयास प्रतीत होता है। नगर पालिक निगम भिलाई सभी से अपेक्षा करता है कि किसी भी समाचार के प्रकाशन अथवा प्रसारण से पूर्व तथ्यों का समुचित सत्यापन करें तथा निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करें।

संलग्न.फोटो   जनसम्पर्क अधिकारी